13

प्रारुप–5

परियोजना का नाम– होमगार्ड्स स्वयं सेवकों के प्रशिक्षण हेतु परेड ग्राउण्ड का निर्माण

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय–

संलग्न है,

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

COMMANDANT
DISTT TRAINING SENTER
HOME GUARD
SHRINAGAR (GARHWAL)

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

तपोवन रोड़, ननूरखेड़ा, रायपुर देहरादून। टेलीफैक्स नं0–0135–2784473

पत्र संख्या : सीजी–63 / हो.गा. / 2008 / 836 दिनांक: अगस्त 31, 2017

कमाण्डेन्ट,
जिला, प्रशिक्षण केन्द्र,
होमगार्ड्स, श्रीनगर गढवाल ।

कृपया अपने पत्र संख्या: सी–डीटीसी–एक–290 / हो.गा. / 2014–15 / 133 दिनांक: 22–08–2017 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में श्रीकोट गंगानाली पट्टी कटलस्यूँ तहसील श्रीनगर की प्रस्तावित 0.812 हैक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठन हेतु नये सिरे से ऑन लाईन किये जाने हेतु परेड ग्राउन्ड व दीवार बनाने के लिये परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

2– निर्देशानुसार इस सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

31/8/17

(राजीव बलोनी)
प्रभारी डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,
होमगार्ड्स (प्रशासन)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं0 146
दिनांक 11.9.17

प्रतिलिपि:–मण्डलीय कमाण्डेन्ट होमगार्ड्स, गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रशासनिक निरीक्षक
आवश्यक कार्यवाही करें।
13/9/17

संख्याः 77/XX(5)/09–75–होगा0/2005

प्रेषक,

जे0पी0 जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग   देहरादून : दिनांक: 26 फरवरी, 2009

विषयः वित्तीय वर्ष 2008–09 में आयोजनेत्तर पक्ष में जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल के आवासीय/अनावासीय भवन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 271/XX(5)/08–75–होगा0/2005, दिनांक 18–03–2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल के आवासीय/अनावासीय भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रू0 128.05 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2007–08 में अंतिम किश्त के रूप में रू0 104.05 लाख (रू0 एक करोड़ चार लाख पांच हजार मात्र) को संलग्नविवरणानुसार व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हों। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4– शासनादेश संख्या : 271/XX(5)/08–75–होगा0/2005, दिनांक 18–3–2008 में उल्लिखित समस्त शर्ते यथावत प्रभावी रहेंगी।

5– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

Commandant
Distt. Training Centre
Home Guards
(Garhwal)

16

6— कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

7— स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2009 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। आंगणन का पुनरीक्षण किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा।

8— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के अनुदान संख्या-06 "मुख्य लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 60-अन्य भवन, 051-निर्माण, 00-आयोजनेत्तर, 10-जिला प्रशिक्षण केन्द्र होमगार्ड्स गढ़वाल मण्डल श्रीनगर के भवन निर्माण के मानक मद संख्या-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः यू0ओ0: 652 INP/XXVII(5)/2009, दिनांकः 17 फरवरी, 2009 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(जे0पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः (1)/VIII/09-75-होगा0/2008 तद्दिनांकित :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3— जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
5— परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं विकास निगम, श्रीनगर गढ़वाल।
6— निजी सचिव, मा0 होमगार्ड्स मंत्री।
7— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8— वित्त अनुभाग-5
9— एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

Commandant
Distt. Training Centre
Home Guards
Srinagar (Garhwal)

शासनादेश संख्या : 77 (1)/VIII/09-75-होगा0/2005, दिनांक 26 फरवरी, 2009 का संलग्नक :

(धनराशि लाख रूपये में)

कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था	स्वीकृत लागत (लाख)	वर्ष 2007–08 में अवमुक्त धनराशि	वर्ष 2008–09 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	5	6
जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण	उत्तरांचल पेयजल संसाधन एवं विकास निगम लि0	128.05	24.00	104.05
योग :–		128.05	24.00	104.05

(महावीर सिंह चौहान)
अनुसचिव।

Commandant
Distt. Training Centre
Home Guards
Srinagar (Garhwal)

18

3

C.G.H.G-536/2008
18.3.2008

संख्याः–27/XX5/08–75होगा0/05

प्रेषक,

जे0पी0जोशी,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा होमगार्ड्स
एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 18 मार्च, 2008

विषयः–जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स श्रीनगर श्रीकोट में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः– सीजी–2/होगा/2006/947 दिनांक 29 दिसम्बर, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स श्रीनगर श्रीकोट में प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रस्तुत आगणन की आंकलित राशि सेन्टेज सहित रू0 136.45 लाख एवं बिना सेन्टेज के रू0 127.67 लाख के सापेक्ष औचित्यपूर्ण धनराशि सेन्टेज सहित रू0 128.05 लाख एवं बिना सेन्टेज के रू0 119.81 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन देते हुए उक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में अनुपूरक मांग के माध्यम से उक्त प्रयोजन हेतु प्राविधानित धनराशि में से रू0 24,00,000/–(रू0 चौबीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) धनराशि आहरण करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाय तथा निर्माण कार्य को भूमि/स्थल निर्माण प्रारम्भ करने हेतु हस्तांतरण करा लिया जाय।

(2) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हों अथवा बाजार दरों पर ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा तदुपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(3) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, प्राविधिक अधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

Commandant
Distt. Training Centre
Home Guards
(Garhwal)

19

(2)

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना मानकों के अनुसार स्वीकृत हो, स्वीकृत मानकों से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(5) एकमुश्त प्राविधान को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(6) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी बिन्दुओं को दष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मानकों/विशिष्टिओं को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाय।

(7) समस्त सामग्री को कय करने से पूर्व 'स्टोर पर्चेज नियमों' का अनुपालन तथा सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित कर ली जाय।

(8) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में पूर्व भूमि व मिट्टी का परीक्षण कराकर भूमि मिट्टी पर निर्माण को भूगर्भ आदि बिन्दुओं से उपयुक्त होने की पुष्टि करा ली जाय।

(9) निर्माण में भूकम्प रोधी तथा उर्जा संरक्षण डिजाइन/तकनीक/वास्तुकला का उपयोग किया जाय जिस हेतु निर्माण से पूर्व डिजाइन/तकनीक/वास्तुकला का विस्तृत आगणन व नक्शों में समावेश कर लिया जाय तथा निर्माण में पूर्व निर्माण पूर्ण होने पर इस संब्रंध में निर्माण इकाई से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय और संबंधित प्रमाण पत्र तथा अभिलेखो को सुरक्षित रखा जाय।

2— उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के साथ होमगार्ड्स निदेशालय स्तर पर नियमानुसार विधीक्षित संविदा (contract) करते हुए शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय। संविदा के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाय :—

(1) FUND FLOW कार्य की प्रगति के साथ [illegible] रहेगा।

(2) कार्य की समय सीमा निर्धारित की [illegible]। सामान्य परिस्थितियों में नियत समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर कार्यदायी संस्था पर अर्थदण्ड का प्राविधान रखा जाय।

(3) वित्त विभाग द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित किये जाने के उपरान्त परियोजना की लागत में वृद्धि सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगी।

(4) प्रत्येक निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत आगणन की राशि में से 10 प्रतिशत धनराशि, एक वर्ष अथवा मानसून जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए रोक ली जाय तथा यह अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि उपरोक्त के अतिरिक्त तभी अवमुक्त की जाय जब उपरोक्त कालावधि बीत जाय। यह धनराशि उपरोक्त के अतिरिक्त तभी अवमुक्त होगी जब महासमादेष्टा होमगार्ड्स की सहमति के अनुरूप "कार्य सन्तोषप्रद प्रमाण पत्र" होमगार्ड्स निदेशालय द्वारा निर्गत कर दिया गया हो।

3— जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की अवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय।

Commandant
Distt. Training Centre
[illegible] Guards

4- जारी स्वीकृति के सापेक्ष व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0 13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा गृह विभाग को प्रत्येक माह विलम्बतम् 20 तारीख तक (पूर्व माह की सूचना) उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

5- मितव्ययिता संबंधी शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- शासन द्वारा परीक्षित आगणन (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-6 के "लेखाशीर्षक-2070-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0102-होमगार्ड्स बल" हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन योजना मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1476/XXVII(5)/2007 दिनांक- 13मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे0पी0जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/ (1)/XX(5)/08-75 होगा0/05 तदि[illegible]ांक

प्रतिलिपि निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्[illegible] [illegible]ार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2- निजि सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4- महाप्रबन्धक,उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मोहिनी रोड,देहरादून को परीक्षित आगणन की प्रति सहित।
5- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6- वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
7- एन0 आई0 सी0 सचिवालय परिसर।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Commandant
Distt. Training Centre
Home Guards
Srinagar (Garhwal)

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव।

21

57

प्रेषक,

संख्या–412/XX(05)07–75होगा0/05

एम0 एस0 चौहान,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

C.G.HG-2611/05
25.10.2007

सेवा में,

महासमादेष्टा, होमगार्ड्स,
उत्तराखण्ड,देहरादून ।

गृह अनुभाग–5

देहरादूनः दिनांक 23 अक्टूबर, 2007।

विषयः– जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स श्रीनगर के भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–सीजी–38/होगा/2006/534 दिनांक 30 अगस्त 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स श्रीनगर का निर्माण कराये जाने हेतु पेयजल निगम द्वारा आकंलित धनराशि रूपये– 136.45 के सापेक्ष टी0 ए0 सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0–128.05 लाख एवं बिना सेन्टेज के रू0– 119.81 लाख का अनुमोदन कतिपय शर्तों के अधीन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के विभागीय बजट में से अथवा बचतों के व्यावर्तन से पुर्विनियोग के माध्यम से उक्त धनराशि की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करा. का कष्ट करें और यदि विभागीय बजट में उक्त हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हों तो अनुपूरक मॉग का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0एस0चौहान)
अनुसचिव।

Commandant
Distt. Training Centre
Home Guards
Srinagar (Garhwal)